न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/26

रतन लाल आत्मज मथुरा लाल जाति मीणा निवासी ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज मथुरा लाल जाति मीणा निवासी पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रामदयाल आत्मज मिश्रीलाल (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
   2/1. फूलन्ता बाई बेवा रामदयाल ।
   2/2. लक्ष्मी बाई पुत्री रामदयाल निवासीगण ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. गुड्डी पुत्री मिश्रीलाल पत्नी रामगोपाल निवासी राजगनर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. भूली पुत्री मिश्रीलाल पत्नी देवलाल निवासी उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. हनुमान पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. कैलाश बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. गीता बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीणा पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी कादीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. रमेश आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा ।
9. राजेन्द्र कुमार आत्मज सूरजमल जाति मीणा ।
10. नेमीचन्द्र आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा ।
11. दिनेश कुमार आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा ।
12. मंजूलता पुत्री सूरजमल जाति मीणा ।
13. विद्याबाई पुत्री सूरजमल जाति मीणा ।
14. रामप्यारी बेवा सूरजमल जाति मीणा ।
15. धन्ना लाल आत्मज चतुर्भुज जाति मीणा (मृतक) जरिये कायमुकामान :–
    15/1. पुष्पा बेवा धन्ना लाल
    15/2. कन्हैया लाल पुत्र धन्ना लाल ।
    15/3. द्वारकी लाल पुत्र धन्नालाल ।
    15/4. ओमप्रकश पुत्र धन्ना लाल ।
    15/5. हुकुमचन्द पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा निवासीगण गुमानपुरा तहसील दीगोद ।
    15/6. रोशन बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी बद्रीलाल ।
    15/7. निहाल बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी रमेश चन्द्र जाति मीणा निवासीगण भोजपुरा ।
    15/8. भूरा बाई पुत्री धन्ना लाल पत्नी भैरूलाल जाति मीणा निवासी बरगू तहसील दीगोद जिला कोटा ।
16. पुष्पचन्द आत्मज चतुर्भुज मीणा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

16/1. हंसराज पुत्र पुष्पचन्द जाति मीणा ।
16/2. मांगी बाई पुत्री पुष्पचन्द जाति मीणा निवासीगण पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
17. बाबूलाल आत्मज श्री चतुर्भुज जाति मीणा ।
18. चौथमल आत्मज चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा
19. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राकेश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 04.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 12 किता की 80 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सूरजमल, रतनलाल, मिश्री लाल, राम प्रसाद पुत्र मथुरा लाल व मुस0 केसर बाई बेवा मथुरा लाल व हनुमान प्रसाद पुत्र भैरूलाल मीणा के खाते में शामलाती रूप से दर्ज चली आ रही है । इसी तरह उक्त ग्राम में कुल 06 किता की 46 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सूरजमल, रतन लाल, मिश्री लाल, रामप्रसाद पुत्र मथुरा लाल व मु0 केसर बाई बेवा मथुरा लाल व हनुमान प्रसाद पुत्र भैरूलाल मीणा हिस्सा 1/2 व चतुर्भुज पुत्र पूरा हिस्सा 1/2 से खाते में शामलाती रूप से दर्ज चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी का पूर्व में वादी व उसके भ्राताओं के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन हो गया । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट कुल 17 किता की 13.78 हैक्टर कायम किये गये । वादी मद संख्या 10 में अंकित भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अपने पिता के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को काफी पैसा लगाकर काबिल काश्त बनाया है । वादी उक्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर स्वयं के खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 10 में अंकित आराजी कुल 09 किता की 6.76 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे । वादपत्र में अंकित भूमि ग्राम पोलाई खुर्द का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार वादी को मद संख्या 10 में वर्णित आराजी कुल 09 किता की 6.76 हैक्टर आराजी विभाजन में दी जावे तथा प्रतिवादीगण को

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वे वादीगण के हिस्से की आराजी मद संख्या 10 में वर्णित आराजी कुल 09 किता की 6.76 हैक्टर आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । प्रतिवादी कम 15 को आदेश दिये जावे कि उक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद डिक्री कर दिया तथा दिनांक 18.07.2016 को संशोधित निर्णय एवं डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा दर्ज है और वह 1/5 हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है । इसके बावजूद भी वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 को हिस्से से अधिक भूमि एक खाते में देकर उसका खातेदार घोषित करने व हिस्से से अधिक भूमि विभाजन में दिये जाने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट कम 1 ने कोई लिखिल दस्तावेज पेश नहीं किया तथा कथित राजीनामा दिनांक 10.07.1993 पुलिस के दवाब में आकर लिखवाया गया हे जिसकी कोई अहमियत नहीं है और उसके अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त भी नहीं हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को निर्णय के बाद काफी समय तक पत्रावली का पता नहीं चला और पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अपीलान्ट को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल करने व उसकी भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 के खाते दर्ज करने बाबत् कहा व निर्णय होने की जानकारी दी जिस पर दिनांक 18.12.2017 को निर्णय व डिक्री की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 20.12.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पोलाईखुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित है । वादी ने यह कथन कर दावा पेश किया है कि वादी एवं उसके भ्राताओं के मध्य पारिवारिक विभाजन हो गया जिसके तहत वादी के हिस्से में 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि आयी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट 09 किता की 6.76 हैक्टर कायम किये गये जिस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है जिस पर वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । तदनुसार विभाजन किया जावे । पत्रावली तलबी एवं जवाब में चल रही थी इसको लोक

अदालत में रखा गया । लोक अदालत में जवाबदावा लिये बिना ही पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन को सही मानकर दावा डिक्री किया गया है । इस पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है और वह 1/5 हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है । इसके बावजूद भी वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को हिस्से से अधिक भूमि एक खाते में देकर उसका खातेदार घोषित करने व हिस्से से अधिक भूमि दिये जाने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके अनुसार यह साबित हो कि पक्षकारान के मध्य स्वेच्छा से राजीनामा हुआ हो । तथाकथित राजीनामा पुलिस के दबाव में आकर लिखवाया गया है जिसकी कोई अहमियत नहीं है और उसके अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त भी नहीं हैं । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने थाने पर लिखे गये समझौते को पारिवारिक समझौता मानकर दावा डिक्री किया है । लोक अदालत में पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन को अपीलान्ट ने स्वीकार नहीं किया है । रिकॉर्ड के अनुसार व वर्तमान में मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन करने की सहमति दी गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअन्दाज कर दावा डिक्री किया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 को जिन भूमियों पर खातेदार घोषित किया गया है उन पर अपीलान्ट का कब्जा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 को एक ही खाते में से भूमि दी गई परन्तु दूसरे खाते में रेस्पोडेन्ट कम 01 का नाम डिलीट किये जाने बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में पक्षकारानर उपस्थित हुए थे । सहमति के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली संशोधित टाईटल एवं जवाबदावे में लम्बित थी । इसे लोक अदालत में रखा गया, लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं वरन् कुछ पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । आदेशिका के अनुसार पक्षकारान ने शिविर में निस्तारण की सहमति दी है परन्तु न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया है और पूर्व में दिनांक 10.03.1993 को थाने में हुए राजीनामा के आधार पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । प्रतिवादीगण कम 7 लगायत 12, 13/1, 13/2, 13/4 से 13/8 एवं 14 लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2016 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा